

बिहार सरकार

साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 19 मई, 1987 ई०।

साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग के संकल्प संख्या 2408, दिनांक 30 जुलाई 1984 द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के परिपेक्ष में प्रभावित क्षेत्रों में तथा पीड़ित परिवारों के साहाय्य एवं पुनर्वास कार्य सम्पादनार्थे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग सार्गदर्शन परामर्श एवं समीक्षा हेतु मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों विभिन्न स्वयं-सेवी संस्थाओं एवं जन प्रतिनिधियों के स्थायी राज्य स्तरीय संगठन की आवश्यकता पर सम्यक विचार करते हुए राज्य सरकार ने बिहार राज्य प्राकृतिक आपदा परामर्शदातृ परिषद् के संगठन का निर्णय जिसके अध्यक्ष मूर्ख मंत्री, बिहार है। उक्त संकल्प के सदस्यों की सूची के ऋणांक 58 द्वारा अध्यक्ष महोदय को अन्य सदस्यों की मतोनिवारने का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत अध्यक्ष महोदय ने श्री राजेश कुमार शुक्ल, सह-संयोजक (विचार विभाग) बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी (ई), सदाकृत आश्रम, पटना को बिहार राज्य प्राकृतिक आपदा परामर्शदातृ परिषद् का समोनित सदस्य घोषित किया जाता है। अतः पूर्व संकल्प में आशिक संशोधन करते हुए श्री राजेश कुमार शुक्ल, सह-संयोजक (विचार विभाग) प्रदेश कांग्रेस कमिटी (ई) सदाकृत आश्रम, पटना को बिहार राज्य प्राकृतिक आपदा परामर्शदातृ परिषद् का समोनित सदस्य घोषित किया जाता है।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रक्रिया सभी विभागों विभागाध्यक्षों को सूचनार्थे प्रेषित निवारण जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जिबा लाल आर्म,
आमुक्त एवं सचिव।

क्षापांक-सा०नि०क०-2-28187-1108।सा०पु०;

पटना, 15, दिनांक 19 मई, 1987

प्रतिलिपि—सभी संबंधित सदस्यों सभी विभागों, प्रमंडलीय अध्यक्षों, जिलाधिकारियों को सूचनार्थे प्रेषित।

ए० पी० पूर्ति,
सरकार के संयुक्त सचिव।